न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—04/2021 (2021/25) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—माधवलाल पिता जगन्नाथ कुमावत निवासी खुटियाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—श्रवणकुमार पिता सोहनलाल शर्मा निवासी उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
2—ओमप्रकाश पिता सोहनलाल शर्मा निवासी उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
3—भैरूसिंह पिता नाथुसिंह राजपूत निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—मधुकंवर पुत्री नाथुसिंह राजपूत निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—बबलेशकंवर पुत्री नाथुसिंह राजपूत निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—रेखाकंवर पत्नि मूलसिंह राजपूत निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा जरिये शाखा प्रबन्धक
8—आईसीआईसीआई बैंक शाखा कोशीथल तहसील सहाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
9—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित

1. हरिश टेलर —

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—31.03.2021

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2927 रकबा 1.08 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। प्रार्थी की आराजी संख्या 2927 में संज, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर, पैदल आदि सहित आवागमन करने हेतु एक मात्र रास्ता ग्राम बाड़िया खुर्द में स्थित माताजी के स्थान के पास निकलने वाले बाड़िया से कोशीथल जाने वाली आम सड़क से होकर किफर आगे बिलानाम रास्ते से होकर फिर आगे प्रार्थी के ही समाज के व्यक्ति भंवरलाल पिता कालुराम कुमावत निवासी बाड़ियाखुर्द की आराजी संख्या 3080 गै.मु. रास्ता से होकर फिर आगे विपक्षी संख्या 1 व 2 के खातेदारी की खातेदारी की आराजी संख्या 3292/2931 की उत्तरी पाली पर होकर आगे विपक्षी संख्या 3 लगा[illegible] पिता नाथुसिंह पिता निर्भयसिंह राजपूत के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 3291/2931 की उत्तरी पाली पर होकर फिर आगे विपक्षी संख्या 6 की आराजी संख्या 3290/2931 की उत्तरी पाली [illegible] 15 फीट चौड़ाई में स्थित रास्ते से होकर करते चले आ रहे है। प्रार्थी व विपक्षीगण ने पूर्व के खातेदारान आपस मे सगे भाईबंध थे उन्ही से खरीदी है। और पूर्व के खातेदारान भी इसी रास्ते से आवागमन करते चले आ रहे थे। उक्त वर्णित रास्ते में निर्बाध एवं निरन्तर आवागमन होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.04.05 17:38:11 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगण के खेतो में होने वाली फसल को कोई नुकसान ना हो इसलिये सुरक्षा हेतु विपक्षी संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 3292/2931 के उत्तरी पूर्वी कोने पर लोहे की बड़ी फाटक वर्षो से लगी हुई है जिससे सुरक्षित आवागमन हो रहा है। रास्ता पुराना होने से उक्त रास्ता प्रार्थी की आराजी तक डोट–डोट लाईन से राजस्व नक्शे में भी दर्ज कर रखा है। उक्त रास्ता राजस्व नक्शे में बिलानाम रास्ता दर्ज करवाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण आये दिन उक्त रास्ते को बन्द करने की धमकी देते है और आवागमन करने पर लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते है तथा धमकी देते है कि उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है इसलिये आवागमन नही करने देंगे। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 2927 में संज, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर पैदल आदि आवागमन करने का एक मात्र रास्ता जो विपक्षीगण की आराजी संख्या 3292/2931, 3291/2931, 3290/2931 की उत्तरी पालियों पर 15 फीट चौड़ाई में स्थित है, को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम सादर फरमाया जावें तथा विपक्षीगण को पांबद करवाया जावें कि उक्त वर्णित रास्ते से विपक्षीगण कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें और रास्ते को सदैव खुला रखें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 15.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा विपक्षी संख्या 7, 8, 9 फौरमल पक्षकार है।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि ग्राम नान्दशा में प्रार्थी माधवलाल पिता जगन्नाथ कुमावत निवासी खुटियाखेड़ा के नाम पा आराजी संख्या 2927 रकबा 1.08 है0 दर्ज रेकार्ड है उक्त आराजी के चारो तरफ खातेदारी भूमियां स्थित है। उक्त आराजी के समीप वर्तमान में रास्ता स्थित नही है एवं राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में दर्ज नही है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 3290/2931, 3291/2931, 3292/2931 की उत्तरी मेड़ पर होकर आता जाता रहा है। वर्तमान में उक्त मेड़ पर थोहर की बाड़ व तारबन्दी लगी हुई है जिसमें प्रार्थी को आवागमन एवं फसल काश्त करने हेतु ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने ले जाने की समस्या है। प्रार्थी की आराजी पर आवागमन हेतु रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। वर्तमान में प्रार्थी विपक्षीगण की उत्तरी मेड़ पर होकर आ जा रहा है। आराजी पर आवागमन हेतु अलग से रास्ता छोड़ा हुआ नही है। प्रार्थी की आराजी संख्या 2927 पर आवागमन हेतु प्रतिवादीगण के आराजी संख्या 3290/2931, आराजी संख्या 3292/2929 की उत्तरी मेड़ पर रास्ता प्रस्तावित किया गया है जिसके अनुसार आराजी संख्या 3290/2931 रकबा 1.09 है0 मे से 0.05 है0 भूमि, आराजी संख्या 3291/2931 रकबा 1.08 है0 मे से 0.04 है0 भूमि व आराजी संख्या 3292/2931 रकबा 1.08 है0 मे से 0.04 है0 भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 0.13 है भूमि की डीएलसी दर 31500 रूपये प्रति बीघा से 9477 रूपये का दुगुनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.04.05 17:38:11 IST
Reason: SelfAttested

राशि 18954 रूपये बनती है। वर्तमान रास्ता जो बिलानाम 3080 जो बल्यु इंक एवं प्रस्तावित रास्ता को लाल स्याही से दर्शाया गया है नक्शा ट्रेस संलग्न है। प्रार्थी के आराजी संख्या 2927 पर आवगमन हेतु एक मात्र रास्ता प्रस्तावित रास्ता ही है। चारो तरफ कृषि भूमियां स्थित है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु मौके पर कोई राजकीय रास्ता दर्ज नही है और एकमात्र विपक्षीगण की खातेदारी भूमि में से होकर आवागमन का ही एकमात्र विकल्प है तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा किया गया मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे में प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है इसी अनुसार रास्ता दिया जाने का निवेदन किया गया। उपरोक्त विवरण के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नान्दशा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी सख्या 2927 में आवागमन हेतु विपक्षी खातेदार की आराजी संख्या 3290/2931 रकबा 1.09 है0 मे से 0.05 है0 भूमि, आराजी संख्या 3291/2931 रकबा 1.08 है0 मे से 0.04 है0 भूमि व आराजी संख्या 3292/2931 रकबा 1.08 है0 मे से 0.04 है0 भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 0.13 है0 भूमि उत्तरी मेड़ के सहारे–सहारे जो रास्ते के रूप में काम में आ रही है जिसकी डीएलसी दर 31500 रूपये प्रति बीघा से 9477 रूपये का दुगुनी राशि 18954 रूपये मुआवजा राशि बनती है। उक्त राशि का प्रार्थी द्वारा विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.3.2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.04.05 17:38:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—04 / 2021 (2021 / 25) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—माधवलाल पिता जगन्नाथ कुमावत निवासी खुटियाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—श्रवणकुमार पिता सोहनलाल शर्मा निवासी उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
2—ओमप्रकाश पिता सोहनलाल शर्मा निवासी उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
3—भैरूसिंह पिता नाथुसिंह राजपूत निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—मधुकंवर पुत्री नाथुसिंह राजपूत निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—बबलेशकंवर पुत्री नाथुसिंह राजपूत निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—रेखाकंवर पत्नि मूलसिंह राजपूत निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा जरिये शाखा प्रबन्धक
8—आईसीआईसीआई बैंक शाखा कोशीथल तहसील सहाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
9—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नान्दशा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी सख्या 2927 में आवागमन हेतु विपक्षी खातेदार की आराजी संख्या 3290 / 2931 रकबा 1.09 है0 मे से 0.05 है0 भूमि, आराजी संख्या 3291 / 2931 रकबा 1.08 है0 मे से 0.04 है0 भूमि व आराजी संख्या 3292 / 2931 रकबा 1.08 है0 मे से 0.04 है0 भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 0.13 है0 भूमि उत्तरी मेड़ के सहारे—सहारे जो रास्ते के रूप में काम में आ रही है जिसकी डीएलसी दर 31500 रूपये प्रति बीघा से 9477 रूपये का दुगुनी राशि 18954 रूपये मुआवजा राशि बनती है। उक्त राशि का प्रार्थी द्वारा विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.04.05 17:38:11 IST
Reason: SelfAttested

31.3.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा